उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-26/3155/26-1-2013-4(18)/2012

लखनऊ : दिनांक : 12 नवम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

श्री महेश कुमार सिंह, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा जनपद में तैनाती के दौरान अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0), मुरादाबाद के पदीय दायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा था। मण्डलायुक्त, मुरादाबाद ने अपने पत्र दिनांक 26-05-2011 द्वारा अवगत कराया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जॉच उपनिदेशक, समाज कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद से करायी गयी, जिसमें श्री महेश कुमार सिंह चौहान, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद की भूमिका संदिग्ध पायी गयी है। श्री सिंह नियमविरूद्ध कार्य करने एवं अपने दायित्वों का सम्यक् निर्वहन न करने के दोषी पाये गये हैं।

2- पुन: मण्डलायुक्त मुरादाबाद ने अपने पत्र दिनांक 21-06-2011 के माध्यम से शासन को अवगत कराया कि श्री महेश कुमार सिंह चौहान, जिला समाज कल्याण अधिकारी/प्रभारी अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0), मुरादाबाद द्वारा उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया आर्थिक गरीब मदद योजना में जिलाधिकारी/अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0) के नोशनल खाते से लाभार्थियों के खाते में भुगतान हेतु भेजी गयी धनराशि में से कुछ धनराशि किसी न किसी कारण से वापस प्राप्त हुई है। निर्देशानुसार इसे वापस नोशनल खाते में जमा किया जाना था और त्रुटियों को दूर करने के बाद लाभार्थियों को भुगतान किया जाना था, इसके स्थान पर श्री महेश कुमार चौहान ने विकास भवन स्थित सिंडीकेट बैंक में एक सेविंग बैंक खाता खुलवाया और धनराशि सेविंग खाते में रखी। दिनांक 18-06-2011 तक रू0 47,72,598/- की धनराशि जमा हो चुकी है।

3- विभिन्न तिथियों में उपरोक्त बैंक खाते से रू0 26,42,400/- का भुगतान अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0), मुरादाबाद द्वारा चेक के माध्यम से कर दिया गया, इसमें से रू0 24,62,400/-की धनराशि का भुगतान एम/एस मैन्स सर्विस को किया गया। प्रथम दृष्टया यह फर्म श्री महेश कुमार सिंह चौहान के पुत्र श्री संदीप चौहान की है, इससे स्पष्ट है कि श्री चौहान द्वारा शासकीय धनराशि का निजी कार्यो हेतु आहरण करके गबन किया गया। इस योजना की धनराशि या तो लाभार्थियों को भुगतान की जानी थी अथवा अवशेष रहने पर प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा की जानी चाहिए थी। जिलाधिकारी, मुरादाबाद को कार्यालय के उपरोक्त योजना के अभिलेख नियंत्रण में लेने, संबंधित बैंक खाते से आहरण वितरण पर रोक लगाने, प्रथम दृष्टया गबन के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं। जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा श्री चौहान के विरूद्ध साक्ष्यों सहित आरोप पत्र अलग से प्रेषित किया जायेगा। उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितता के दृष्टिगत श्री चौहान को तत्काल निलम्बित किये जाने का अनुरोध मण्डलायुक्त मुरादाबाद द्वारा शासन से किया गया।

4- श्री चौहान द्वारा की गयी उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितता/शासकीय धनराशि के गबन के अतिरिक्त शासकीय अभिलेखों को गायब करना, चेकों पर खाता संख्या गलत अंकित करने, संविदा प्रवक्ताओं/कर्मचारियों के चयन/नियुक्ति में अनियमितता करने, साक्षात्कार सूची में उल्लिखित अंकों में फेर-बदल करने सहित कतिपय अन्य गंभीर प्रशासकीय आरोप भी प्रारम्भिक जॉच में प्रथम दृष्टया सही पाये

http://shasanadesh.up.nic.in

जाने के फलस्वरूप श्री चौहान के विरूद्ध थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद में दिनांक 20-06-2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या-421/2011 धारा-420/409 आई0पी0सी0-13(स) व (द) भ्र0नि0अधि0 के अंतर्गत मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। फलस्वरूप पुलिस अपचारी अधिकारी को गिरफ्तार कर दिनांक 20-06-2011 को कारागार भेज दिया।

5- श्री महेश कुमार सिंह चौहान, जिला समाज कल्याण अधिकारी/प्रभारी अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0), मुरादाबाद द्वारा की गयी उक्त गंभीर वित्तीय/प्रशासकीय अनियमितताओं एवं शासकीय धनराशि का गबन किये जाने के फलस्वरूप श्री चौहान को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2279/26-1-2011-सक-1, दिनांक 22-06-2011 द्वारा निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा प्रकरण की जॉच हेतु संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण मेरठ मण्डल, मेरठ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। अपचारी अधिकारी के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2291/26-1-2011-सक-1, दिनांक 09-08-2011 द्वारा आरोप पत्र निर्गत किया गया, जिसमें याची के विरूद्ध कुल 16 आरोप लगाये गये।

6- अपचारी अधिकारी लगभग 04 माह तक कारागार में निरूद्ध रहने के उपरान्त जमानत पर रिहा हुआ। शासकीय धनराशि के गबन एवं पद का दुरूपयोग किये जाने के लिए अपचारी अधिकारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में मुकदमा चलाये जाने हेतु अभियोजन की स्वीकृति भी शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4106/26-1-2011-सक-1, दिनांक 22-05-2012 द्वारा प्रदान की गयी।

7- प्रश्नगत प्रकरण में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या उनके पत्रांक-262/स0नि0/स0क0/2012-13, दिनांक 23-08-2012 के माध्यम से शासन को प्राप्त हुई। जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये 16 आरोपों में से आरोप संख्या-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 एवं 15 पूर्णरूप से जबकि आरोप संख्या- 4, 13 एवं 16 आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये। सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में जॉच आख्या की प्रति भेजते हुए शासन के पत्र संख्या-2778/26-1-2012-सक-1, दिनांक 11-09-2012 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मॉगा गया, जिसका उत्तर अपचारी अधिकारी द्वारा दिनांक 02-11-2012 को दिया गया। प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत आरोप पत्र जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या एवं अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त आरोपवार स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

<u>आरोप संख्या-1</u>

यह आरोप उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत अवितरित एवं अन्य स्रोतों से वापस प्राप्त धनराशि रू0 47,72,598/- को शासन के आदेशों के विपरीत अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0) के पदनाम से सिण्डीकेट बैंक शाखा विकास भवन जनपद मुरादाबाद में एकल खाता संख्या-88252210006751 खोलकर उसमें जमा किये जाने तथा इसमें से रू0 26,49,765/- की धनराशि का आहरण किये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी का कथन है कि बैंक एकाउन्ट अपचारी अधिकारी द्वारा ही खोला गया। इस संबंध में सिण्डीकेट बैंक के शाखा प्रबंधक से भी सम्पर्क किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक खाता खोले जाने संबंधी फार्म पर हस्ताक्षर श्री महेश कुमार सिंह के ही है। खाता खोले जाते समय कतिपय औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण श्री सिंह को बैंक बुलाया गया था तथा वह बैंक में उपस्थित होकर समस्त औपचारिकताएं शाखा प्रबंधक के समक्ष ही पूरी की थी। श्री सिंह के हस्ताक्षर के

http://shasanadesh.up.nic.in

संबंध में ट्रेजरी में उपलब्ध हस्ताक्षर से भी मिलान कराया गया, जिसमें उनके हस्ताक्षरों की पुष्टि हुई है। **अतः आरोप संख्या-1 अपचारी अधिकारी पर पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

इस संबंध में अपचारी अधिकारी का कथन है कि उ0प्र0 मुख्यमंत्री गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत प्रेषित चेकों के सापेक्ष वापस प्राप्त हुई चेकों में सम्मिलित धनराशि को सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने के आदेश उसके द्वारा अधीनस्थों को दिये गये थे। जनपद मुरादाबाद में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में उसकी पहली तैनाती थी। कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त पाया गया कि कार्यालय में कई लिपिक वर्गीय कर्मचारी काफी समय से तैनात हैं तथा इनके विरूद्ध कई प्रकार की शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही हैं। तद्क्रम में संबंधित लिपिकों को नियमानुसार कार्यवाही करने तथा भविष्य में शिकायतें प्राप्त होने पर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने की धमकी उसके द्वारा दी गयी, जिससे असंतुष्ट होकर इन कार्मिकों ने एक षडयंत्र के तहत बैंक के कर्मचारियों से मिलकर खाता खोलने संबंधी प्रपत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त करके अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0) के पदनाम से खाता खोला गया तथा अपचारी अधिकारी को फंसाने के उद्देश्य से उसके पुत्र के फर्म के नाम चेक बनाकर उस पर धोखे से हस्ताक्षर करा लिये। अपचारी अधिकारी की यदि शासकीय धनराशि के गबन की मंशा होती तो वह अपने पुत्र के फर्म में पैसा स्थानान्तरित करने के उपरान्त इसे तत्काल आहरित कर लेता। इस प्रकार जो भी धनराशि उसके पुत्र के फर्म को स्थानान्तरित की गयी है, उसमें एक भी रूपये का आहरण उसके पुत्र द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त धनराशि के स्थानान्तरण हेतु वह दोषी नहीं है।

अपचारी अधिकारी द्वारा सिद्ध पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध में अपने अभ्यावेदन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उसके समर्थन में कोई साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्य औचित्यपूर्ण नहीं है। अपचारी अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत 07 चेकों के माध्यम से कुल रू0 24,62,400/- की धनराशि अपने पुत्र के फर्म को भेजी गयी एवं एक अन्य चेक के द्वारा रू0 1.80 लाख का भुगतान मिसलेनियस को किया गया। इस प्रकार कुल 08 चेकों के माध्यम से रू0 26,42,400/- की धनराशि का भुगतान उक्त एकल खाते से किया गया। इस संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा कोई औचित्यपूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सका है। **इस प्रकार आरोप संख्या-1 अपचारी अधिकारी पर पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

<u>आरोप संख्या-2</u>

यह आरोप उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत अवितरित एवं अन्य स्रोतों से वापस प्राप्त धनराशि रू0 47,72,598/- को पदनाम से खोले गये खाते में जमा करने और उसमें से रू0 26,49,765.50 की धनराशि नियम विरूद्ध आहरित कर इसमें से रू0 24,62,400/- की धनराशि अपने पुत्र श्री संदीप चौहान के फर्म-एम/एस मैन्स सर्विस, एच0क्यू0-1, फ्रर्स्ट फ्लोर, ए-35, राजेन्द्रनगर, बरेली के पक्ष में किये जाने व एक अन्य अनियमित भुगतान रू0 1,80,000/- मिसलेनियस को करके कुल शासकीय धनराशि रू0 26,42,400/- का गबन किये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजनान्तर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने हेतु बैंकों को प्रेषित की गयी धनराशि विभिन्न कारणों यथा-लाभार्थियों के नाम/खाता संख्या गलत अंकित हो जाने के कारण वापस प्राप्त हुई थी, उसे लाभार्थियों का नाम/खाता संख्या ठीक कराकर पुनः वापस भेजना चाहिए था अथवा जिलाधिकारी तथा अपर जिला विकास अधिकारी(सक) के संयुक्त नोशनल खातें में जमा किया जाना चाहिए था, किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा सिंडीकेट बैंक शाखा विकास भवन,

http://shasanadesh.up.nic.in

मुरादाबाद में अपने पदनाम से खोले गये एकल खाता सं0-88252210006751 में उक्त धनराशि को जमा किया गया। इस संबंध में सिंडीकेट बैंक शाखा विकास भवन से स्टेटमेंट प्राप्त कर जॉच की गयी, जिसमें पाया गया कि अपचारी अधिकारी ने अपने पुत्र श्री संदीप चौहान की फर्म- एम/एस मैन्स सर्विस, एच0क्यू0-1, फ्रर्स्ट फ्लोर, ए-35, राजेन्द्रनगर, बरेली को रू0 24,62,400/- का भुगतान 07 चेकों के माध्यम से व एक अन्य भुगतान मिसलेनियस को रू0 1.80 लाख किया गया। इस संबंध में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

क्र0	चेक संख्या	धनराशि(रूपये में)	भुगतान की तिथि	भुगतान जिसे किया गया
1	716602	3,60,000/-	15-04-2011	एम/एस मैन्स सर्विस
2	716603	4,39,200/-	15-04-2011	-तदैव-
3	716604	2,43,000/-	15-04-2011	-तदैव-
4	716605	4,39,200/-	25-04-2011	-तदैव-
5	716606	5,40,000/-	07-05-2011	-तदैव-
6	716609	1,80,000/-	21-05-2011	मिसलेनियस कस्टोम
7	716610	1,80,000/-	25-05-2011	एम/एस मैन्स सर्विस
8	716611	2,61,000/-	01-06-2011	-तदैव-
	योग	**रू0 26,42,400/-(रूपया छब्बीस लाख बयालिस हजार चार सौ मात्र)**		

इस संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा कोई औचित्यपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए शासकीय धनराशि का दुरूपयोग किया गया। अत: यह आरोप अपचारी अधिकारी पर सिद्ध होता है।

इस संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में आरोप संख्या-1 के संबंध में कहे गये तथ्यों का उल्लेख किया है जो औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया, अपचारी अधिकारी के पुत्र के खाते में शासकीय धनराशि का स्थानान्तरण लिपिक वर्गीय कर्मचारियों द्वारा क्यों किया जायेगा, इसका कोई तार्किक आधार अपचारी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया। सभी 08 चेके अपचारी अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत की गयी है। अत: यह कहना कि लिपिक वर्गीय कर्मचारियों द्वारा धोखे में रखकर चेकों पर हस्ताक्षर करा लिये गये, यह मान्य नहीं है। अपचारी अधिकारी द्वारा शासकीय धनराशि का गबन किये जाने के उद्देश्य से रू0 24,62,400/- का अनियमित भुगतान अपने पुत्र श्री संदीप चौहान की फर्म एम0/एस0 मैन सर्विस राजेन्द्रनगर, बरेली के पक्ष में किया गया तथा एक अनियमित भुगतान रू0 1,80,000/- मिसलेनियस को करके शासकीय धनराशि का गबन किया गया। इस प्रकार आरोप संख्या-2 भी अपचारी अधिकारी पर पूर्णरूप से सिद्ध होता है।

<u>आरोप संख्या-3</u>

यह आरोप राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिंहावली, सम्भल एवं राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय, मुरादाबाद में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता व संबंधित पत्रावली पूर्ण अभिलेखों के साथ जॉच अधिकारी को उपलब्ध न कराये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि साक्षात्कार के आधार पर कु0 दिव्या प्रथम तथा श्रीमती शिवानी द्वितीय स्थान पर रहीं थी। कु0 दिव्या का चयन अन्यत्र हो जाने के कारण द्वितीय स्थान पर रहीं श्रीमती शिवानी को नियुक्ति पत्र जारी किया जाना चाहिए था, किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा एक अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया तथा पत्रावली से अभिलेखों के

http://shasanadesh.up.nic.in

गायब होने व हेरा-फेरी करने में भी इनकी भूमिका संदिग्ध पायी गयी है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी पर लगाया गया यह आरोप सिद्ध होता है। इस संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में कुछ नहीं कहा गया। **इस प्रकार यह आरोप सं0-3 अपचारी अधिकारी पर सिद्ध होता है।**

आरोप संख्या-4

यह आरोप राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिंहावली, सम्भल एवं राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय, मुरादाबाद में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में निर्देशों का अनुपालन न करके मनमाने ढंग से नियुक्तियाँ किये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि शासनादेश दिनांक 30-07-2009 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हेतु सृजित पदों को संविदा से भरे जाने हेतु दिये गये निर्देशों एवं नियुक्ति संबंधी पत्रावली के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अंकतालिका के अनुसार केवल 09 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में हुआ था, शेष अभ्यर्थियों का साक्षात्कार मुख्य विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में ही सम्पन्न करा लिया गया। साक्षात्कार कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा 09 अभ्यर्थियों को दिये गये अंकों एवं शेष अभ्यर्थियों को 03 सदस्यों द्वारा दिये गये अंकों के आधार पर संकलित सूची तैयार की गयी, जबकि पत्रावली में चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दिये गये अंकों की सूची उपलब्ध नहीं है। अत: संकलित सूची किस आधार पर तैयार की गयी, यह स्पष्ट नहीं हुआ। **इस प्रकार अध्यापकों की नियुक्ति में चयन प्रक्रिया एवं शासनादेशों का उल्लंघन करने तथा अवैध रूप से नियुक्तियाँ किये जाने विषयक आरोप सं0-4 अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से सिद्ध होता है।**

आरोप संख्या-5

यह आरोप राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय(शहर), मुरादाबाद में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में रिक्ति के सापेक्ष अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र न भेजने व ज्येष्ठता सूची गायब किये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि रिक्त पदों के सापेक्ष तीन गुणे तक की संख्या के अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाता है। प्राप्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के जॉचोपरान्त पाया गया कि श्री वेदप्रकाश वर्मा द्वारा पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया गया था, जो 02 रिक्त पदों के सापेक्ष 06 अभ्यर्थियों में नहीं आता था। श्री वर्मा को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया और उसकी नियुक्ति भी कर दी गयी। पत्रावली में साक्षात्कार बुलावा पत्र, ज्येष्ठता सूची उपलब्ध न होना यह प्रदर्शित करता है कि अपचारी अधिकारी द्वारा नियुक्ति करने हेतु पटल सहायक के साथ मिलकर पत्रावली में मुख्य अभिलेख जानबूझकर गायब कराये गये। **इस प्रकार यह आरोप अपचारी अधिकारी पर आरोप सं0-5 पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

आरोप संख्या-6

यह आरोप राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिंहावली, सम्भल एवं राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय, मुरादाबाद में रिक्त प्रवक्ता के 02 पदों को भरे जाने में की गयी अनियमितता से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा रिक्त पदों का विज्ञापन जारी कराते समय प्रवक्ता हिन्दी का पद अनारक्षित दर्शाया गया, जिसके सापेक्ष सामान्य जाति के अभ्यर्थियों से प्राप्त 05 आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए पिछडी जाति के प्राप्त 04 आवेदन पत्रों में से 02 अभ्यर्थियों श्रीमती कादम्बिनी वर्मा एवं कु0 पुनीता की नियुक्ति किया जाना नियुक्ति प्रक्रिया को संदिग्ध करता है। अभिलेखों के परीक्षण/अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त

http://shasanadesh.up.nic.in

अभ्यर्थियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से श्री महेश कुमार सिंह एवं पटल सहायक श्री घनश्याम वर्मा द्वारा आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण अपनायी गयी है। **अतः श्री महेश कुमार सिंह पर आरोप सं0-6 पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

<u>आरोप संख्या-7</u>

यह आरोप राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मुरादाबाद में रिक्त पद सहायक अध्यापक (कक्षा-1 से 5) की नियुक्ति में अनियमितता किये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अपचारी अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सम्भल व मुरादाबाद में नियुक्ति मई, 2011 के लिए नहीं की गयी थी, उसके बाद रद्द मानी जाये, जिस पर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है, जो पटल सहायक के पास उपलब्ध है। अपचारी अधिकारी का उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियुक्तियॉ निर्धारित समय के बाद रद्द मानी जाये, पर जिलाधिकारी का अनुमोदन है, जबकि श्री सिंह द्वारा नियुक्तियों में नियमानुसार प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है, जैसे आश्रम पद्धति विद्यालय मुरादाबाद में कक्षा-1 से 5 तक के लिए सामान्य जाति हेतु रिक्त 01 पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु तीन अभ्यर्थियों (1) कु0 दिव्या (2)कु0 नीतू (3) श्रीमती शिवानी को साक्षात्कार बुलावा पत्र भेजने के फलस्वरूप साक्षात्कार हेतु उपस्थित कु0 दिव्या एवं श्रीमती शिवानी उपस्थित हुई। साक्षात्कार में उक्त अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों की संकलित सूची के अनुसार कु0 दिव्या प्रथम एवं श्रीमती शिवानी द्वितीय स्थान पर रहीं। कु0 दिव्या द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालय, सिंहावली में आवेदन करने, साक्षात्कार में उपस्थित होने एवं चयनित होने के फलस्वरूप स्वेच्छा से आश्रम पद्धति विद्यालय, सिंहावली में योगदान करने के उपरान्त आश्रम पद्धति विद्यालय, मुरादाबाद में पद यथावत् रिक्त रह गया, जिसके लिए नियमानुसार द्वितीय स्थान पर रही श्रीमती शिवानी को आश्रम पद्धति विद्यालय, मुरादाबाद हेतु नियुक्ति पत्र जारी किया जाना चाहिए था, परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा ऐसा न करते हुए श्रीमती शिवानी के स्थान पर श्री वेद प्रकाश वर्मा को मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी के अनुमोदन के बिना ही नियुक्ति पत्र जारी कर नियुक्ति कर दी गयी, जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि किसी स्वार्थहित में ही उक्त अनियमितता अपचारी अधिकारी द्वारा की गयी है। **अतः श्री महेश कुमार सिंह पर आरोप सं0-7 पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

<u>आरोप संख्या-8</u>

यह आरोप श्री वेद प्रकाश वर्मा, सहायक अध्यापक की नियुक्ति मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद के अनुमोदनोपरान्त किये जाने से संबंधित है, जबकि अनुमोदन से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि श्रेष्ठता सूची के अनुसार प्रथम स्थान पर कुमारी दिव्या एवं द्वितीय स्थान पर श्रीमती शिवानी रही थी। कु0 दिव्या के योगदान न करने के फलस्वरूप द्वितीय स्थान पर रही श्रीमती शिवानी को नियुक्ति पत्र जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके श्री वेद प्रकाश वर्मा को जो 06 अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची में सबसे नीचे थे, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया, जो पूर्णरूप से अवैध हे तथा एक सोचे समझे षडयंत्र का हिस्सा है। **अतः यह आरोप सं0-8 अपचारी अधिकारी पर पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

<u>आरोप संख्या-9</u>

यह आरोप राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय(शहर), मुरादाबाद एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सिंहावली(सम्भल) मुरादाबाद हेतु संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार समिति के सदस्यों

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा साक्षात्कार के समय साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को दिये गये अंकों की पृथक-पृथक सूची नियुक्ति पत्रावली पर उपलब्ध न कराने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण से संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें साक्षात्कार कमेटी के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि तत्समय ही साक्षात्कार में दिये गये अंकों की तालिका श्री सिंह को उपलब्ध करा दी गयी थी। श्री सिंह द्वारा पटल सहायक श्री घनश्याम वर्मा से हमराज होकर सदस्यों द्वारा दिये गये अंकों की सूची गायब कर दी गयी। सूची गायब करने के उपरान्त ही मनमाने ढंग से अंकों की संकलित सूची तैयार की गयी। पूर्ण सम्भावित है कि कमेटी द्वारा दिये गये अंकों के आधार पर संकलित सूची तैयार कराकर मुख्य विकास अधिकारी एवं कमेटी सदस्यों से संकलित सूची पर हस्ताक्षर कराकर अपने चहेते अभ्यर्थी की नियुक्ति न हो पाने के कारण संकलित सूची में अंकित नम्बरों में कटिंग/ओवरराईटिंग कर अपने चहेते अभ्यर्थी की नियुक्ति की गयी है, क्योंकि यह तभी सम्भव था जब अंकों की सूची में कटिंग होती। कटिंग उपरान्त अभ्यर्थी की नियुक्ति भी तभी सम्भव थी जब साक्षात्कार कमेटी द्वारा दिये गये अंकों की तालिका पत्रावली से हटायी जाती। संकलित सूची में इतनी अधिक कटिंग सम्भव नहीं है, हो सकता है कि त्रुटिवश एक या दो स्थान पर कटिंग हो जाय लेकिन संकलित सूची में लगभग 87 कटिंग/संशोधन एक सोची समझी साजिश के तहत ही अभ्यर्थियों के अंकों में बहुत अधिक फेरबदल किया गया है। **अतः आरोप सं0-9 अपचारी अधिकारी पर पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

<u>आरोप संख्या-10</u>

यह आरोप श्री वेद प्रकाश वर्मा की अनियमित नियुक्ति किये जाने से संबंधित है। इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अभिलेखों के परीक्षण से स्पष्ट है कि साक्षात्कार कक्षा-1 से 5 तक के रिक्त 02 पदों हेतु किया जा रहा था, जिसमें शासनादेश की व्यवस्थानुसार 01 पद के सापेक्ष 03 अभ्यर्थियों अर्थात 02 पदों के सापेक्ष 06 अभ्यर्थियों को ज्येष्ठता सूची के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना था। ज्येष्ठता सूची पत्रावली में ही रक्षित रहती है। साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अंक प्राप्त होने के पश्चात ही अन्तिम श्रेष्ठता सूची तैयार की जाती हे, के समय भी पूर्व श्रेष्ठता सूची का अवलोकन किया जाता है। जब साक्षात्कार हेतु प्रथम 06 अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाना था। अनारक्षित पद के सापेक्ष क्रमांक-10 पर अंकित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी श्री वेद प्रकाश वर्मा को साक्षात्कार में बुलाया जाना सिद्ध करता है कि श्री महेश कुमार सिंह एवं पटल सहायक श्री घनश्याम वर्मा नियमों के विरूद्ध श्री वेद प्रकाश वर्मा की नियुक्ति हेतु अभिलेखों में हेराफेरी कर नियुक्ति किये जाने का मन बनाये हुए थे, जिसके लिए श्री महेश कुमार सिंह सहित पटल सहायक पूर्णरूप से जिम्मेदार हैं। **इस प्रकार यह आरोप सं0-10 अपचारी अधिकारी पर पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

<u>आरोप संख्या-11</u>

यह आरोप कु0 शोभना वर्मा जिनका चयन सहायक अध्यापक के पद पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय(शहर) मुरादाबाद में भी हुआ था, को नियुक्ति पत्र निर्गत न किये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि कु0 शोभना वर्मा का चयन दोनों विद्यालयों में हुआ था, जिसमें से एक विद्यालय का नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया। अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त यह पाया गया कि कु0 शोभना वर्मा को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुरादाबाद को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं भेजा गया, इसका कोई संतोषजनक उत्तर पटल सहायक द्वारा नहीं दिया गया। नियुक्ति पत्र जैसे महत्वपूर्ण पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भेजे जाते है, जो अभ्यर्थियों को प्राप्त न होने

http://shasanadesh.up.nic.in

की दशा में वापस कार्यालय अभिलेखों में रखे जाते हैं, किन्तु ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली में रक्षित न होने के कारण पटल सहायक एवं अपचारी अधिकारी की कार्य प्रणाली इस प्रकरण में पूर्णरूप से संदिग्ध है। **अतः अपचारी अधिकारी पर यह आरोप सं0-11 पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

<u>आरोप संख्या-12</u>

यह आरोप राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिंहावली सम्भल में रिक्त प्रवक्ता अर्थशास्त्र के पद जो पिछडी जाति के अभ्यर्थी हेतु आरक्षित था, के सापेक्ष अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी की नियुक्ति कराये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त संज्ञानित हुआ कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिंहावली में प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) का पद पिछडी जाति के लिए आरक्षित था। इस रिक्त पद पर तैनाती हेतु आयोजित साक्षात्कार में कु0 नगमा ए फेज की नियुक्ति की संस्तुति की गयी, किन्तु प्रवक्ता के उक्त पद पर अनियमित रूप से श्री मनोज कुमार पुत्र श्री वीरेन सिंह, निवासी विमल निकेतन दसवॉ घाट विष्णुपरी मुरादाबाद को नियुक्त कर दिया गया। साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची में श्री मनोज कुमार के उपस्थित न होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। श्री महेश कुमार सिंह द्वारा अपने उत्तर में लिखा गया है कि इस संबंध में मेरे द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये। यह कहा जाना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिंहावली द्वारा श्री मनोज कुमार को योगदान न कराये जाने पर स्पष्ट है कि किसके निर्देशानुसार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मुरादाबाद में श्री मनोज कुमार को सेवा हेतु लगाया गया है। श्री महेश कुमार सिंह द्वारा अपने उत्तर में यह लिखना कि मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं, गुमराह किया गया है, बिल्कुल औचित्यहीन है। अभिलेखों एवं दिये गये उत्तर के अनुसार अपचारी अधिकारी की भूमिका उक्त कृत्य में संदिग्ध हैं। **अतः श्री महेश कुमार सिंह पर आरोप सं0-12 पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

<u>आरोप संख्या-13</u>

यह आरोप संविदा पर नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के पूर्ण नियुक्ति पत्र उपनिदेशक, समाज कल्याण मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को उपलब्ध न कराने व अभ्यर्थियों के योगदान की सूचना न दिये जाने, शासनादेश के अनुरूप संविदा कार्मिकों से करार निष्पादित कराये बिना ही संविदा धनराशि का भुगतान किये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा नियुक्ति एवं औपचारिकताओं के संबंध में शासनादेश अथवा निदेशालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों का अध्ययन किये बिना मात्र पटल सहायक के कहने मात्र से कि सब नियमानुसार हो रहा है, पर ही कार्य करते रहे। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने विवेक से नियुक्ति/योगदान संबंधी कोई कार्य सम्पादित नहीं कराया गया है। श्री सिंह द्वारा या तो औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करायी गयी अथवा समय से पूर्ण नहीं करायी गयी हैं। **इस प्रकार यह आरोप अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से सिद्ध होता है।**

<u>आरोप संख्या-14</u>

यह आरोप शासनादेश दिनांक 30-07-2009 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सृजित पदों पर संविदा कार्मिकों का चयन कराये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह अंकित किया गया है कि अपचारी अधिकारी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि चयन कमेटी का प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। उपनिदेशक प्रभारी होने के कारण उनका नाम नहीं रखा गया। जिलाधिकारी महोदय के सामने मेरा

http://shasanadesh.up.nic.in

कहना व बोलना उचित नहीं था। शासनादेश संख्या-2511/26-1-2009-9(69)/2006, दिनांक 30-07-2009 द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी एवं उपनिदेशक, समाज कल्याण को सदस्य मनोनीत किया गया, जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित दो अन्य सदस्य इस प्रकार समिति में 05 सदस्य होते हैं। उक्त से स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा उक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्था से जिलाधिकारी को अनभिज्ञ रखा गया है। यदि जिलाधिकारी द्वारा समिति का गठन करते हुए उपनिदेशक का नाम हटाकर उपनिदेशक, हथकरघा को रखा गया है। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि चयन समिति में 05 सदस्य होते हैं, जबकि साक्षात्कार कमेटी द्वारा दिये गये अंकों की संकलित अंकतालिका के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्ष सहित 04 सदस्य है। मुख्य विकास अधिकारी भी मात्र 09 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में सम्मिलित रहें, उसके उपरान्त मात्र 03 सदस्यों द्वारा ही साक्षात्कार पूर्णकर संकलित अंक तालिका के आधार पर अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। श्री सिंह द्वारा शासनादेश/पत्रों में निर्धारित साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है। **अतः अपचारी अधिकारी पर आरोप सं0-14 पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

<u>आरोप संख्या-15</u>

यह आरोप समूह-ग सीधी भर्ती नियमावली, 2002 के प्राविधानों का उल्लंघन कर साक्षात्कार में दिये गये अंकों की तुलनात्मक तालिका में शैक्षिक प्राप्तांकों को दर्शाये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जाँच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्ण कराने में श्री सिंह द्वारा शासनादेश का अनुपालन न करते हुए अपने विवेक एवं संबंधित पटल सहायक के द्वारा बनायी/दी गयी सूचना के आधार पर ही नियुक्ति संबंधी कार्य सम्पादित किये गये, जबकि नियुक्ति संबंधी समस्त कार्य शासन/विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन ही की जाती है। नियुक्ति संबंधी कार्यो में श्री सिंह द्वारा शासनादेशों का उल्लंघन किया गया है। **अतः आरोप सं0-15 अपचारी अधिकारी पर पूर्णरूप से सिद्ध होता है।**

<u>आरोप संख्या-16</u>

यह आरोप साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम चयन सूची तैयार न किये जाने व अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न किये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा न तो चयनित अभ्यर्थियों की सूची का गहन परीक्षण किया गया और न ही उच्चाधिकारियों को अवलोकित करायी गयी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपचारी अधिकारी द्वारा अपनी जिम्मेदारी एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। **अतः आरोप सं0-16 अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से सिद्ध होता है।**

8- इस प्रकार पूर्ण/आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये आरोप संख्या-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 के संबंध में संयुक्त रूप से अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में संविदा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय समिति का गठन होता है, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी सचिव के रूप में कार्य करता है। चयन समिति की संस्तुतियों के अनुरूप अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति प्रदान करने से पूर्व रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को बुलाने, प्रवेश पत्र निर्गत

http://shasanadesh.up.nic.in

करने, आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी समस्त कार्यवाही पटल सहायकों द्वारा की जाती है। इस प्रकार यह भी संभव है कि किसी पटल सहायक का किसी विशेष प्रकरण में कोई निजी स्वार्थ निहित होने के कारण कोई अनियमितता की गयी हो, जिसकी कोई जानकारी अधोहस्ताक्षरी को नहीं थी। यदि प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही करने से पूर्व समस्त शिकायतों की जॉच करायी जाती तो यह स्वत: स्पष्ट हो जाता है कि अनियमित नियुक्ति के लिए वास्तव में कौन दोषी है?

9- चयन समिति की संस्तुति/जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदन के बिना न तो किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है और न ही किसी अनुपयुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गयी है। जॉच अधिकारी ने अपनी जॉच आख्या में कई जगह पर इस तथ्य को स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त अनियमितताओं के लिए पटल सहायक/संबंधित लिपिक दोषी है। इस प्रकार उक्त सभी अनियमितताएं जिनमें प्रार्थी की कोई भूमिका नहीं है, उसके लिए पूर्णरूप से दोषी सिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है। शेष सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में कुछ नहीं कहा गया। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में जॉच अधिकारी द्वारा उल्लिखित तथ्यों के संबंध में कोई विशेष उल्लेख न करके सामान्य बातों का उल्लेख किया है तथा उक्त अनियमितता के लिए संबंधित पटल सहायकों को दोषी ठहराने का प्रयास किया गया। इस प्रकार अपचारी अधिकारी के ऊपर लगाये गये आरोप संख्या-3 से 16 पूर्णरूप से सिद्ध होते हैं।

10- समस्त तथ्यों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी की कदाशयता एवं दूषित मानसिकता के कारण शासन द्वारा गरीबों के लिए बनायी गयी हितकारी योजना का लाभ उन तक नहीं पहुँच सका। अपचारी अधिकारी द्वारा शासकीय धनराशि के गबन के अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति एवं भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अवहेलना की गयी तथा शासकीय अभिलेखों से छेडछाड भी किया गया। यह सभी कृत्य अपचारी अधिकारी की आपराधिक मानसिकता के द्योतक एवं भ्रष्टाचार व दु:साहस का प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसलिए ऐसे अधिकारी को शासकीय सेवा में बनाये रखने का औचित्य नहीं है। तद्नुसार अपचारी अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismiss) करने एवं गबन की गयी शासकीय धनराशि की वसूली कराये जाने का दण्ड विनिश्चित करते हुए, प्रस्तावित दण्ड पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद का परामर्श प्राप्त किया गया। लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-37(III)/6/ए0डी0सी0/एस-4/2012-13, दिनांक 10-10-2013 के माध्यम से प्रस्तावित दण्ड पर सहमति शासन को प्राप्त हुई।

11- अतएव सम्यक् विचारोपरान्त श्री महेश कुमार सिंह चौहान, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी/प्रभारी अपर जिला विकास अधिकारी(सक), मुरादाबाद(निलम्बित) को, उनके द्वारा की गयी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, पदीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता एवं पद का दुरूपयोग किये जाने आदि का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की सहमति से निम्नवत् दण्ड देते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- श्री महेश कुमार सिंह चौहान, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद (निलम्बित) को सेवा से पदच्युत किया जाता है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में गबन की गयी शासकीय धनराशि की पूरी वसूली अपचारी अधिकारी से की जाय।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-26/3155(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- उपसचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या-37(III)/6/ए0डी0सी0/एस-4/2012-13, दिनांक 10-10-2013 के संदर्भ में।

3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।

6- उपनिदेशक, समाज कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

7- श्री महेश कुमार सिंह चौहान, तत्कालीन जिला समाज कल्याण मुरादाबाद (निलम्बित) सम्बद्ध निदेशालय समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in